न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **147/2020**
GCMS No. : **2020/00283**

–: वादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. मिश्रीलाल पुत्र हरिराम कौम– कुमावत नि. भैरू की बावड़ी निमाज
2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल पटेल कौम– कुमावत निवासी बेरा तेजावाली रामावास कलां
3. पुनाराम पुत्र भंवरलाल पटेल निवासी– खिनावड़ी तहसील– जैतारण
4. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल कुमावत(टांक) निवासी– निमाज
5. पप्पुराम पुत्र चन्द्राराम कुमावत निवासी– करमावास तहसील– रायपुर
6. दुर्गाराम पुत्र दयाराम कुमावत जरिये आम मुख्त्यार विकास पुत्र गंगाशंकर नायक निवासी– बिराटीया कलां

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू – : 09.11.2020**

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री जगदीश सोलंकी, श्री किशोर कुमार कुमावत, श्री मेवराज कुमावत, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 02/03/2022

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 433/16 रकबा 1–00 बीघा मौजा** निमाज प्रथम में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 06 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **भूखण्ड बनाकर** खर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि किस्म की परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 20.07.2020 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि(भूखण्ड बनाकर)** कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92क, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन हैः- (क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित पैरा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन वर्णित पैरा 1 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को जवाब दावा पेश करनें के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करनें से इनका जवाब दावा बन्द किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या एक सही होने से स्वीकार है। जवाब देहिन्दागण प्रतिवादी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 433/16 में अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है व मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ के काम में नहीं लिया जा रहा है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी शर्तो का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया है। दावा का पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है प्रतिवादी उक्त भूमि कृषि योग्य है। उक्त भूमि का उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही प्रतिवादीगण करते आ रहे है। वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योकि प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर किसी प्रकार भूखण्ड नहीं बनाये हैं उक्त आराजी केवल कृषि योग्य है एवं उक्त आराजी पर कृषि कार्य ही किया जा रहा है। इसलिए वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है, वादी ने केवल मात्र झूठी शिकायत/वाद प्रस्तुत किया है। जिसे खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 06 ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वाद पद के पद संख्या एक सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि उक्त पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 433/16 में अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर प्रकार उपभोग एवं [illegible] आ रहा है, मौके पर उक्त मौके पर उक्त भूमि में किसी [illegible] प्रयोजनार्थ के उपयोग नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो का किसी प्रकार से उंलग्न नहीं किया है तथा मौके पर किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं किया जा रहा है ना ही राजस्थान सरकार को राजस्व नुकशान कारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादपत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि उपरोक्त पद में वर्णित तथ्य गलत बेबुनियाद है जो अस्वीकार है। जवाब देहन्दा ने उक्त भूमि को केवल मात्र कृषि भूमि को केवल मात्र कृषि भूमि के रूप में ही उपयोग कर रहा है। अकृषि कार्य के रूप में उपयोग नहीं कि जा रही है। इसलिये भी यह पद अस्वीकार हैं। वादपत्र के पद संख्या चार का जवाब है कि जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि जवाब देहन्दा ने उक्त आराजी पर किसी प्रकार के भू खण्ड नहीं बनाये हैं। उक्त आराजी केवल कृषि कार्य योग्य हैं तथा उक्त आराजी पर कृषि कार्य ही किया जा रहा है। इसलिये वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है वादी ने केवल मात्र झूठी शिकायत के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिसे खारिज फरमाया जावें। वादपत्र के पद संख्या पांच का जवाब है कि उक्त पद कानूनन होने से गौर अदालत बाला के हैं। वादपत्र के पद संख्या छः का जवाब है कि वादी जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है क्योंकि जवाब देहन्दा अपनी खरीद सुदा कृषि भूमि को केवल मात्र कृषि कार्य के रूप में काम ले रहा है तथा टिनेन्सी एक्त की शर्तो का किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं किया है। इसलिये जवाब देहन्दा को बेदखल किया जाना व उसकों स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। इसलिये वादी का वादपत्र काबिले खारिज के होने से खारिज फरमावें। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब देहान्दा के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

हल्का पटवारी निमाज एवं भू. अ. निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा नवीनतम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत की गई जो सामिल मिसल की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की खसरा नम्बर 433/16 रकबा 1-00 बीघा किस्म चाही प्रथम जो कि कृषि भूमि है, के अभिलिखित खातेदार है द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक प्रक्रिया भूखण्ड बनाकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा टिनेन्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहें। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें।

2. वादपवत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.07.2020 के अनुसार खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी में मौके पर पांच भूखण्ड बनाये हुये हैं तथा चार भूखण्डों के चारो तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पट्टीयां रोपकर तारबन्दी कर रखी है तथा एक भूखण्ड के तारो तरफ पक्की चारदीवारी निकाल रखी है जिसमें एक चाय का केबिन रखा हुआ है। अतः मौके पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग आंरभ कर दिया है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है, प्रतिवादीगण द्वारा हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी में काश्त आदि की जा रही है। मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया गया है तथा टिनेन्सी शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। जवाब देहन्दा द्वारा किसी प्रकार का भूखण्ड आदि नहीं बनाये है। वादी जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है।

5. वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी निमाज प्रथम द्वारा दिनांक 18.02.2022 को वादग्रस्त आराजी की मौके पर तैयार नवीनतम मौका रिपोर्ट जिसे पर प्रतिवादीगण खातेदारान् के भी हस्ताक्षर है एवं मौके के फोटोग्राफस के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में चारो ओर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है एवं वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं हो रखी है। खसरा नम्बर 433/16 रकबा 1-00 बीघा किस्म चाही में प्लॉटिंग के पीलर(पत्थर) इत्यादि नहीं लगा रखे है।

6. **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की *धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त-भंग के लिए बेदखली*** -(1) भू धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी होः

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे कार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो भूमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

7. वादग्रस्त आराजी की उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नवीनतम मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी पर चारदीवारी एवं पक्की तारबन्दी का निर्माण करवाया गया तथा जमीन मौके पर खाली पड़ी है। मौके पर किसी प्रकार के पक्के निर्माण या कॉलोनी, प्लॉटिंग इत्यादि नहीं पाई गई, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य रेकॉर्ड पर उपलब्ध है जिससे यह विश्वास

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करनें का हेतुक हो की खातेदारान् द्वारा कृषि भूमि पर अहितकर कार्य किया जा रहा है। यह स्वीकृत स्थिति है कि जैसे जैसे वारिसान की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जोत का आकार एवं खातेदार का हिस्सा घटता जाता है तथा किसी भी सहखातेदार द्वारा मौके पर जोत मे से अपने हिस्से तक भूखण्ड बनाकर मेढ़बंदी या तारबन्दी किया जाना या चारदीवारी का निर्माण करना स्वयं के निवास एवं पशुशाला आदि तथा अनाज एवं चारा भण्डारगृह का निर्माण करना कृषि कार्य की श्रेणी में आता न की अकृषि कार्य की श्रेणी में। अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–ः आदेश ः–

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 02/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested